Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. GR 1103 of 2008

Teghra P.S. Case No. 84 of 2008

State Vs. ~~Ragh~~ Raj unandan Singh & Others

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	27.03.2024 21-08-2024 (1.)	आवेदन दिनांक 20-01-2017 U/S 311 CrPC पर आदेश 1.) सूचक चैतू सहनी की हाजिरी है। सभी चार अभियुक्तगण क्रमशः (1.) राज नंदन सिंह, (2.) फूलो सिंह, (3.) झुनझुन सिंह एवं (4) राज कुमार सिंह की ओर से धारा 317 CrPC के तहत वकालतन हाजिरी दी गयी है जिसे सिर्फ आज हेतु स्वीकृत किया जाता है। आज अभिलेख बचाव पक्ष की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दाखिल आवेदन दिनांक 20-01-2017 पर आदेश हेतु नियत है। 2.) बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 20-01-2017 को धारा 311 CrPC के तहत आवेदन दाखिल कर प्रार्थना किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित दो साक्षी क्रमशः (1.) उगाली देवी एवं (2.) चैता सहनी का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका है। उक्त दोनों साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी जाये। —Contd—	

Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. GR 1103 of 2008

Teghra P.S. Case No. 84 of 2008

State Vs. ~~Raghu~~ Raj nandan Singh & Others

Contd--- 21-08-2024 (2.)	3.) अभियोजन की ओर से दिनांक 20-01-2017 को ही प्रत्युत्तर दाखिल कर बचाव पक्ष के आवेदन का विरोध किया गया है और खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। 4.) उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद काफी पुराना एवं वर्ष 2008 का है तथा दिनांक 23-04-2011 को धारा 341, 323, 325, 447, 354, 504, 34 IPC के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप का गठन किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दो साक्षियों क्रमशः (1) उगली देवी एवं (2) चेतू सहनी (सूचक) का बचाव पक्ष की ओर से किसी के उपस्थित न होने (प्रति परीक्षण हेतु) के कारण उन्मोचित किया गया है। वाद के उचित न्याय-निर्णयन हेतु उक्त साक्षियों जिनमें सूचक भी सम्मिलित है, का बचाव पक्ष द्वारा प्रति-परीक्षण का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 20-01-2017 को धारा 311 CrPC के तहत दाखिल आवेदन को स्वीकृत	

— Contd —

Rule XLII-High Court (J) 19 [Old (M)164]

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. GR 1103 of 2008

Teghra P.S. Case No. 84 of 2008

State Vs. ~~Raghu~~ Raj nandan Singh & Others

	Contd--- 21-08-24 (3.)	इस शर्त पर किया जाता है कि जब उक्त साक्षी गवाही हेतु उपस्थित होंगे तो बचाव पक्ष द्वारा प्रति गवाह 500/- रुपये खर्चे के रूप में गवाह को प्रदत्त करेंगे। अभियोजन को निर्देश दिया जाता है कि उक्त साक्षियों को उपस्थित करावें। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त गवाहों की उपस्थिति हेतु पुनः समन निर्गत करें। 5.) वाद दिनांक 18.10.2024 को अभियोजन साक्ष्य हेतु अभिलेख प्रस्तुत करें। 21/08/2024 (SUSHIL PRASAD) ACJM, Teghra	